(25)

N.R.C

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

कार्मिक एवं वित्त नीति अनुभाग-29

संख्या 824-का. वि. नी./रा वि प-29/96-8का. वि. नी/93 दिनांक 18 अप्रैल, 1996

समस्त मुख्य अभियन्ता,
समस्त महा प्रबंधक,
अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग,
उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद।

अत्यावश्यक
महत्वपूर्ण
अतिआवश्यक

विषय:- परिषदीय अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों का अन्तिमीकरण।

महोदय,

प्राय: यह देखा गया है कि परिषद के अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्यायें ससमय अंकित नहीं करते हैं। कभी-कभी तो ये प्रविष्टियाँ तीन, चार या पांच वर्षों के अन्तराल के पश्चात भी अंकित नहीं की जाती है, जबकि सम्बन्धित अधिकारियों/अधिकारिकों का स्थानान्तरण भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों की प्रोन्नति, समयबद्ध वेतनमान का लाभ, दक्षतारोक का पार किया जाना इत्यादि समय से स्वीकृत न होने की दशा में अधिकारियों कार्मिकों में असन्तोष होता है, जो परिषद की कार्यक्षमता को कुप्रभावित करता है।

2. परिषद द्वारा यद्यपि इस सम्बन्ध में समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं तथा अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती रही है कि वे प्रविष्टियाँ ससमय अंकित करें तथापि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

3. अस्तु, प्रश्नगत प्रकरणों के निस्तारणार्थ परिषद ने सम्यक् विचारोपरांत निम्नवत् निर्णय लिया है :-

(क) परिषदाज्ञा सं0 453-जी. ई.एस. (एस. ई. बी-78/92-जी. एम/1976 दिनांक 16 फरवरी, 1978, सपठित परिषदाज्ञा सं0 9001-सी. एक्स/रा. वि. प (1061-89-सी. एक्स/78, दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 के आंशिक संशोधन में वार्षिक प्रविष्टियाँ अंकित करने के लिए निर्धारित समय-सारिणी वर्ष 1996-97 एवं तदुपरांत की प्रविष्टियों के सम्बन्ध में निम्नवत् होगी :-

(1) स्वमूल्यांकन(Self-appraisal)जहाँ लागू है, प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल होगी।

(2) प्रतिवेदक अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों की प्रविष्टियाँ अंकित करके 15 मई तक समीक्षक अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

(3) समीक्षक अधिकारियों द्वारा उक्त प्रविष्टियाँ अथवा मन्तव्य अंकित करने के उपरांत 15 जून तक अन्तिम अधिकारी/अधिकारियों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

क्रमश:.....2/-

(256)

14। स्वीकर्ता/अन्तिम प्राधिकारियों द्वारा प्रविष्टियाँ अपना मन्तव्य अंकित करने के पश्चात 15 जुलाई तक अधिकारियों के सम्बन्ध में परिषद सचिवालय तथा अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियुक्ति अधिकारी अथवा जो अधिकारी सम्बन्धित कर्मचारियों की संकलित गोपनीय प्रविष्टियों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी हैं, को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

।ख। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जिनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्वमूल्यांकन करने की प्रथा लागू है, का यह दायित्व होगा कि सम्बन्धित वर्ष की 30 अप्रैल तक अपने द्वारा किए गए कार्य का तथ्यात्मक विवरण प्रतिवेदक प्राधिकारी को उपलब्ध करा दें। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी उक्त निर्धारित अवधि तक अपने द्वारा, किये गये कार्यों का तथ्यात्मक विवरण प्रतिवेदक प्राधिकारी को उपलब्ध नहीं कराता है तो उस अवधि के स्वमूल्यांकन करने के अधिकार से वंचित हो जायेगा तथा प्रतिवेदक/सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह इस तथ्य को इंगित करते हुए अन्य उपलब्ध सामग्री के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी/कार्मिक की वार्षिक प्रविष्टि अंकित कर दें ।

।ग। यदि प्रस्तर-3 ।क। में निर्धारित अवधि के अन्दर किसी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता तो उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात उसका उस अवधि की गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने का अधिकार स्वतः समाप्त माना जायेगा और वे वर्ष विशेष की प्रविष्टि अंकित न कर सकेंगे ।

।घ। गोपनीय प्रविष्टि अंकित करने हेतु समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रतिवेदक प्राधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा यदि समय-सारिणी का अनुसरण सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तब वे निर्दिष्ट समय के बाद प्रविष्टि अंकित करने का अपना अधिकार खो देंगे। ।ऐसी स्थिति में अगले प्राधिकृत ।समीक्षक अधिकारी। स्तर से प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही की जाय।।

।ङ। यदि किन्हीं मामलों में सम्बन्धित स्तर ।समीक्षक अधिकारी। द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है तो सम्बन्धित स्तर के मन्तव्य की प्रतीक्षा किए बगैर अगले स्तर ।अंतिम/स्वीकर्ता अधिकारी। द्वारा सम्बन्धित पत्रावली मंगाकर प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही उनके लिए निर्धारित अवधि के भीतर सुनिश्चित की जाय ।

।च। निर्धारित अवधि की समाप्ति के उपरांत विगत वर्ष की प्रविष्टि अंकित किए जाने का अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा तथा कोई अधिकारी उस आलोच्य वर्ष में प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्राधिकृत नहीं रहेगा। यदि उक्त तिथि के उपरांत प्रविष्टि प्राप्त होती है तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जाय ।

।छ। निर्धारित अवधि में गोपनीय प्रविष्टि अंकित न करने वाले अधिकारियों के सम्बन्ध में सम्बद्ध उनकी चरित्र पंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की जाय ।

।ज। अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय आख्याओं को ससमय अंकित कराने का अनुश्रवण परिषद सचिवालय में उप सचिव ।गोपन। के स्तर से किया जायेगा तथा अराजपत्रित कार्मिकों की

क्रमशः.....3/

(257)

वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ को समय अंकित करने का अनुश्रवण उन अधिकारियों/इकाइयों द्वारा सुनिश्चित किया जाय, जहाँ सम्बन्धित कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं का रख-रखाव होता है ।

3. 5 वर्ष की निर्धारित अवधि हेतु न्यूनतम 3 वर्ष की गोपनीय प्रविष्टियाँ अथवा [illegible] भी निर्धारित अवधि की न्यूनतम 60 प्रतिशत समयावधि की गोपनीय प्रविष्टियाँ अवश्य अंकित होनी चाहिए। ब्लैंक प्रविष्टियों की अवधि हेतु भी ब्लैंक गोपनीय आख्या पत्र लगाया जाना अनिवार्यत: अभीष्ट है ।

4. किन्हीं कारणोवश, किसी वर्ष किसी अधिकारी/कर्मचारी को प्रविष्टि अंकित किया जाना सम्भव न होने की दशा में वह प्रविष्टि परिषदादेश सं0 874-का. वि. नी/रा. वि. प., दिनांक 6.7.93 के अनुसार ।ब्लैंक। पढ़ी जायेगी। इस सम्बन्ध में "अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र" का प्रारूप संलग्न है ।

5. कृपया प्रश्नगत प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

भवदीय,

[illegible]:- यथोपरि ।

।महाराज किशोर सोती।
संयुक्त सचिव

सं0 824-कार्मिनी।।।/राविप-29/96-8कार्मिनी/93

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं तत्सम कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित:-

1. समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 ।
2. मुख्य लेखाधिकारी/समस्त उप-मुख्य लेखाधिकारी, आंचलिक लेखा कार्यालय, उ0प्र0रा0वि0प0।
3. परिषद सचिवालय के समस्त अधिकारी/अनुभाग ।
4. अनु सचिव ।कार्मिक एवं वित्त नीति।, उ0प्र0 रा0वि0प0, शक्ति भवन, लखनऊ को दिनांक 27 जनवरी, 1996 को सम्पन्न हुई "प्रबंध समिति" की वर्ष 1996 की [illegible] बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में ।
5. [illegible] प्रबंध समिति के सभी श्रमिक सदस्य/विशेष आमंत्री ।

आज्ञा से,

। जे.पी. शास्त्री।
अनु सचिव

अभि0 .... अभिज्ञान सं0 ....

"अप्रतिवेदन प्रमाण पत्र"

परिष्द्याज्ञा सं0 453-जी. ई (चार)/रा विप-78/92-जी. एम/76, दिनांक 16-2-78 सपठित परिष्द्याज्ञा सं0 1163-सी. एक्स/रा. वि. प/79-9सी. एक्स/78, दिनांक 6-6-79 के प्रस्तर-1 में निहित आदेशानुसार दिनांक .... से .... तक की अवधि की प्रविष्टि निम्नलिखित कारणवश अंकित नहीं की गई है :-

1- प्रविष्टि तीन माह से कम की थी ।
2- प्रविष्टि अवधि में प्रतिवेदी अवकाश पर रहे ।
3- प्रविष्टि अवधि के प्रतिवेदक/समीक्षक/अन्तिम अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके है ।

हस्ताक्षर

(सक्षम अधिकारी/संबंधित नियंत्रक अधिकारी)